E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212600
23211576
Tele Fax: 011-23234324

# केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

# CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

*(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)*
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

**CBSE/DIR.(ART&I)/TS/2013**

दिनांकः 22 अप्रेल, 2013
परिपत्र संख्या–अका॰ 26/2013

बोर्ड से संबद्ध सभी
संस्थानों के प्रमुख

विषयः 2013–14 से कक्षा XI एवं 2014–15 से कक्षा XII के नवीन पाठ्यक्रम के रूप में रंगमंच अध्ययन (विषय कोड 078) की प्रस्तावना

प्रिय प्रधानाचार्य,

रंगमंच अभिव्यक्ति के हमारे सशक्ततम माध्यमों में से एक है और तथ्य है कि यह मानवजाति की ही तरह प्राचीन है और इसने संपूर्ण विश्व में अगणित रूपों में प्रकट होते हुए स्वयं को एक अत्यंत विस्मयकारी कला के रूप में सिद्ध किया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार "रंगमंच मानवजाति के शिक्षण एवं मनोरंजन के लिए एक दैवी उपहार (वरदान)है।" जनता के बीच सर्वत्र ऐसी कथाओं के लिए अविरत सम्मोहन रहा है जो रंगमंच की प्रस्तुतीयों में मूर्त होती रही हैं। रंगमंच ऐसे अन्य विषयों के अधिगम को सुदृढ करने तथा प्रोत्साहन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिनका शिक्षण परंपरागत तरीके से होता रहा है। यह उन मुद्दों या विषयों को मूर्त या ठोस बनाता है जो बच्चों के समझने में अन्य रूपों से अमूर्त और कठिन रह जाते हैं। यह जीवन को किताबी ज्ञान से बाहर निकालता है। छात्र रंगमंचीय गतिविधियों में अपनी प्रतिभागिता से अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। यह एक यात्रा है जो निरक्षरता और वाचिक परंपराओं से उबारती है और साक्षरता तथा आधुनिकता के परिष्कृत संप्रेषण तक पहुँचाती है जो आजीविका के विस्तृत विकल्पों के चयन की भी समझ जगाती है।

वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2013–14 से के॰मा॰शि॰बो॰ से संबद्ध विद्यालयों की कक्षा XI में, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रंगमंच अध्ययन का विषय एक मार्गदर्श पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तावित है। यह, एक भाषा के साथ किन्ही तीन विषयों के वैकल्पिक समूह के साथ, एक वैकल्पिक चयनात्मक विषय के रूप में लिया जा सकता है। इसमें 30 अंकों के केस–स्टडी पर आधारित परियोजना तथा मौखिकी के साथ 70 अंकों का सैद्धांतिक पत्र होगा।

## उद्देश्य

रंगमंच अध्ययन के वैकल्पिक विषय का उद्देश्य ऐसे छात्रों का निर्माण करना है जो कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले, आत्मनिर्भर, स्वतंत्र तथा मौलिक विचारक हों।

इस पाठ्यक्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं :–

1. छात्रों कों रंगमंचीय रूपों और शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराया जाएगा, विशेष रूप से उनके अपने मूल सांस्कृतिक क्षेत्र तथा इससे वृहत्तर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों से।
2. प्राचीन काल से लेकर अब तक रंगमंच किस तरह विकसित हुआ, इसने किन सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया है, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण विकासों द्वारा अवधि विशेष में हुए इसके स्वरूप और/अथवा सामग्री के विकास के बारे में छात्र एक समझ प्राप्त करेंगे।
3. छात्र, रंगमंचीय कौशलों के संपूर्ण क्षेत्रों (प्रदर्शन, निर्देशन, रूपांकन, लेखन, निर्माण (मुखौटा, वेश–भूषा, अवलम्ब, मंच–समायोजन), निर्माण कार्य (योजना, बजट, मुद्रांकन, प्रचार), का शैक्षणिक अनुभव प्राप्त करेंगे और अंततः इनमें से किसी एक या एक से अधिक में विशेषज्ञता प्राप्त करेंगे।
4. छात्रों को, नाटक के प्रदर्शन और प्रतिक्रिया के अन्य तरीकों के साथ प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया जाएगा चाहे, नाटक–लेखन हो, छात्रों द्वारा स्वयं किए गए नाटक की अभिकल्पना हो, या फिर अन्य उद्दीपन (फोटोग्राफ्स, पेंटिंग, संगीत, कविता, कहानियाँ, अखबार, टेलीविजन, फिल्म और वास्तविक जीवन की घटनाओं)।
5. छात्र विविध तकनीकों का प्रयोग कर सकेंगे, जो वास्तविक जीवन की समस्याओं और विविध मुद्दों के विश्लेषण तथा उनका समाधान ढूँढने में उनकी सहायता करेंगे।
6. छात्रों को, लिखित रचनाओं एवं विविध प्रकार की संस्कृतियों, शैली एवं विधाओं के प्रत्यक्ष एवं अभिलिखित दोनों ही तरह के प्रदर्शनों के प्रति समीक्षात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने की विधि सिखायी जाएगी।
7. रंगमंच अध्ययन से जुड़े शिक्षकों द्वारा इसके प्रमुख चरणों के माध्यम से छात्रों की क्रमबद्ध प्रगति निरिक्षित, अभिलिखित एवं आकलित की जाएगी। उच्चतर विद्यालय स्तर के लिए एक प्रमुख तत्व छात्रों की खुद की एक पत्रिका है, जिसमें उनकी गतिविधियों एवं विकास के नियमित रूप से लिखित एवं विडियों रिकार्ड होगा।

यह सूचना उन सभी विद्यालयों के प्रमुखों को सूचित करने के लिए लाई गयी है जो अपने विद्यालय/संस्थानों में इस कोर्स की शुरूआत करने की इच्छा रखते हैं। वे इस सूचना के साथ संलग्न प्रपत्र (संलग्नक 'A') को भरकर अपनी इच्छा व्यक्त करें। "सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली" के पक्ष में अपेक्षित राशि के बैंक–ड्राफ्ट के साथ प्रपत्र को भरकर उसे 15 मई, 2013 से पहले दिल्ली में देय, निदेशक (शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं नवाचार), CBSE शिक्षा सदन, 17 राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 के पते पर भेज सकते हैं।

इस विषय से संबंधित यदि किसी भी तरह की कोई पूछताछ करनी हो तो कृपया आप श्री संदीप सेठी (शिक्षा अधिकारी) से 011–23217128 पर फोन से या touchsandeep.sethi@gmail.com पर ई–मेल से संपर्क कर सकतें हैं।

| क्रम॰ संख्या | विद्यालय के प्रकार | शुल्क |
|---|---|---|
| 1. | देश के अंतर्गत स्वतंत्र विद्यालय | ₹ 3,000 |
| 2. | विदेशों में स्वतंत्र विद्यालय | ₹10,000 |

साधना पाराषर

**डॉ॰ साधना पाराषर**
**प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)**

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली. –110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.
8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी/सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी/निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

**प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)**